APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट– कानियॉ

सद्दीक पिता इदूबक्ष मुसलमान
निवासी– कानियॉ

बनाम

रमजान मोहम्मद पिता इदू मुसलमान
निवासी– बरल द्वितीय, बिजयनगर

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–39 नियम–2 ए जा.दी. प्रकरण संख्या–58/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.05.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट कानियॉ पर पेश हुई। प्रार्थी सद्दीक मोहम्मद अप्रार्थी रजाक व रमजान मोहम्मद उपस्थित हुये। प्रार्थी सद्दीक मोहम्मद का कथन था कि ग्राम कानिया की आराजी नम्बर– 584 व 585 मेरे खातेदारी की आराजीयात है जिसमें विपक्षीगण का कोई अधिकार नही है फिर भी वह नाजायज तौर पर हस्तक्षेप करते है। अप्रार्थीगण को मुकदमा नम्बर– 57/2016 212 के प्रार्थना पत्र में दिनांक 28.11.2016 को मोके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द कर रखा है, फिर भी वह दखलन्दाजी करते है । अप्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय आदेश की बार–बार अवहेलना करने से उन्हें सिविल कारावास से दण्डित करवाया जावें। जबकि अप्रार्थीगण का कथन था कि उनके द्वारा प्रार्थी के आराजीयात में कोई दखलन्दाजी नही की जा रही है। प्रार्थी के द्वारा एक झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो खारिज फरमाया जावें। मैंने उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत न्यायालय सहायक कलक्ट्रर (एस. डी.औ.) गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या– 57/2016 अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट उनवान सद्दीक मोहम्मद बनाम रमजान मोहम्मद प्रकरण की आदेशिका की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया है कि वह मौजा कानिया की आराजी नम्बर– 584 रकबा 05 बिस्वा व आराजी नम्बर– 585 रकबा 06 बिस्वा भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। यहॉ प्रार्थी का कथन है कि न्यायालय द्वारा विपक्षीगण को पाबन्द करने के उपरान्त भी	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

उनके द्वारा बार–बार न्यायालय आदेश के अवहेलना की जा रही है। किन्तु प्रार्थी के द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया है जिससे यह प्रकट हो कि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त में नाजायज तौर पर हस्तक्षेप किया जाता हो। अतः बिना किसी आधार व साक्ष्य के अप्रार्थीगण को सिविल कारावास से दण्डित नही करवाया जा सकता, लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य है।

"निर्णय"

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें। आदेश आज दिनांक 21.05.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट कानिया पर सूनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner